भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3124

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों में कुपोषण

3124. श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजनाओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार उक्त योजनाओं की निगरानी करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) जिला मुख्यालयों से दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों एवं गांवों में बाल एवं मातृ स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं के नाम एवं ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ड.) : 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष) की योजना को मिशन सक्षम

आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। मिशन पोषण 2.0 का उद्देश्य बेहतर पोषण सामग्री और वितरण के माध्यम से कुपोषण की समस्या का समाधान करना है। यह एक सार्वभौमिक स्व-चयन (नो एंट्री बैरियर्स) योजना है जो आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में नामांकन करने वाले सभी लाभार्थियों के लिए है और इसे देश भर के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यन्वित किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, पहुंच, व्यवहार परिवर्तन और समर्थन के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने और स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती तथा प्रतिरक्षा में सुधार के लिए कार्यनीतिक बदलाव किया गया है। यह योजना मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धति के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि कुपोषण, कम वजन, ठिगनापन और रक्ताल्पता को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 साल), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के अंतर-पीढ़ी चक्र को तोड़ा जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। कुपोषण की चुनौती से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इन मानदंडों को संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, हालांकि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक तथा संतुलित हैं जो गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता को नियंत्रित करने तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। लाभार्थियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और टेक होम राशन (टीएचआर-कच्चा राशन नहीं) तैयार करने के लिए मिलेट(श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने तथा उसका इलाज करने, इससे जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को

कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया था।

सामुदायिक जुटाव और जागरूकता का समर्थन, मिशन पोषण 2.0 के तहत का एक मुख्य कार्यकलाप है जो लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं पर लोागें को शिक्षित करने की दिशा में जन आंदोलन के लिए प्रेरित करता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह तथा पोषण पखवाड़ा के दौरान सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में योगदान दिया है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने दो समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता होती है।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वितरण सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए आईटी प्रणालियों का लाभ उठाया गया है। दिनांक1 मार्च, 2021 को एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन शुरू किया गया था। पोषण ट्रैकर परिभाषित संकेतकों पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की निगरानी तथा ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ बच्चों में ठिगनेपन, दुबलेपन, कम वज़न की व्याप्तता की निरंतर पता लगाने के लिए उठाया जा रहा है। मोबाइल एप्लिकेशन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के डिजिटलीकरण और स्वचालन की सुविधा भी प्रदान की है जो उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। पोषण ट्रैकर हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में उपलब्ध है। इसने सभी स्तरों पर आंगनवाड़ी सेवाओं के लगभग वास्तविक समय में आंकड़ा संग्रह तथा निगरानी जिसमें दैनिक उपस्थिति, प्रारंभिक बाल्यवस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई), पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम)/टेक होम राशन (टीएचआर-कच्चा राशन नहीं), विकास माप इत्यादि शामिल हैं, को सुगम बनाया है।

मिशन पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आती है। योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा राज्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित आधार पर निरंतर सहभागिता/बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाती है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) भी कार्यान्वित कर रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू एंड एलएम) को मजदूरी के नुकसान के आंशिक मुआवजे के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है जिससे वह प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सकें तथा अपने स्वास्थ्य की अपेक्षित अचारण में सुधार कर सकें। पहले बच्चे के लिए दो किस्तों में 5,000/-रुपए का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा, 01.04.2022 से कार्यान्वित 'मिशन शक्ति' के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह योजना दूसरे बच्चे के लिए, यदि वह बालिका हो, तो 6,000/-रुपए का अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लू) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में महिलाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप कार्यान्वित किया है:

1. पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर स्थापित किए जाते हैं जिससे चिकित्सा जटिलताओं वाले गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चिकित्सा और पोषण संबंधी देखरेख प्रदान की जा सके। उपचारात्मक देखरेख के अलावा, बच्चों के लिए समय पर, पर्याप्त और उचित आहार, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने, माताओं और देखरेख करने वालों के लिए आयु-अनुकूल देखरेख तथा आहार संबंधी पूर्ण कौशल में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
2. एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी): भारत सरकार छह लाभार्थी समूहों - 6-59 महीने के बच्चे, 5-9 साल के बच्चे, 10-19 साल के किशोर, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और प्रजनन आयु (20-49 वर्ष) की महिलाओं में रक्ताल्पता (एनीमिया) के प्रसार को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। इसके तहत रोगनिरोधी आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण, 1-19 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कृमि मुक्ति, गहन व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) अभियान, सरकारी वित्तपोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में आईएफए फोर्टिफाइड भोजन का प्रावधान और मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी तथा फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक क्षेत्रों में

एनीमिया के गैर-पोषण कारणों का समाधान करना शामिल है। इसे सुदढ़ संस्थागत तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।

3. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) के अंतर्गत सभी बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) में मृदा/मिट्टी संचारित कृमि (एसटीएच) संक्रमण को कम करने के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एक ही दिन में दो चरणों (फरवरी और अगस्त) में एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं।

4. स्तनपान कवरेज में सुधार लाने पर जोर देने के लिए माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए) कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। इसमें स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत और विशेष रूप से पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान शामिल है। इसके बाद अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण तथा व्यापक आईईसी अभियानों के माध्यम से आयु-अनुकूल पूरक आहार पद्धतियों को शामिल किया गया है।

5. स्तनपान प्रबंधन केंद्र: व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र (सीएलएमसी) ऐसी सुविधाएं हैं जो नवजात गहन देखभाल इकाइयों और विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित, पाश्चुरीकृत दाता मानव दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई हैं। स्तनपान प्रबंधन इकाई (एलएमयू) माताओं को स्तनपान सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा के भीतर स्थापित की जाती है ताकि बच्चे के उपभोग के लिए मां के अपने स्तन के दूध का संग्रह, भंडारण और वितरण किया जा सके।

6. मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है जो बच्चों में पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करती है।

*****